

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 1 (56) परि/स्था./2010/16085


जयपुर, दिनांक: 27.07.2018

आदेश

प्रशासनिक कारणों से निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कहां से	कहां को
01	श्री भंवर लाल	प्रा.प.अ., अलवर	संयुक्त परिवहन आयुक्त, (रिट्स) जोधपुर
02	श्री विनोद कुमार	प्रा.प.अ., अजमेर	संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय, जयपुर
03	श्री धर्मेन्द्र कुमार	प्रा.प.अ., कोटा	संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय, जयपुर
04	श्री भजनलाल रोलन	प्रा.प.अ., सीकर	संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय, जयपुर
05	श्री नानूराम चोयल	प्रा.प.अ., भरतपुर	संयुक्त परिवहन आयुक्त, एस.डी. आर.आई, जयपुर
06	श्रीमती कुसुम राठौड़	प्रा.प.अ., चित्तौड़गढ़	प्रा.प.अ., अजमेर
07	श्रीमती प्रवीणा चारण	प्रा.प.अ., पाली	प्रा.प.अ., चित्तौड़गढ़
08	श्री जगदीश प्रसाद बैरवा	प्रा.प.अ., दौसा	प्रा.प.अ., पाली
09	श्री अनिल कुमार जैन	प्रा.प.अ., मुख्यालय, जयपुर	प्रा.प.अ., अलवर
10	श्री राजीव कुमार	प्रा.प.अ., मुख्यालय, जयपुर	प्रा.प.अ., दौसा
11	श्री प्रकाश सिंह राठौड़	प्रा.प.अ., चित्तौड़गढ़	प्रा.प.अ., कोटा
12	श्री राजेश शर्मा	प्रा.प.अ., बीकानेर	प्रा.प.अ., परिवहन मुख्यालय, जयपुर
13	श्री सतीश कुमार	अति.प्रा.प.अ., धौलपुर	अति.प्रा.प.अ., भरतपुर
14	श्री नेमीचन्द्र पारीक	अति.प्रा.प.अ., पाली	अति.प्रा.प.अ., बीकानेर
15	श्री ज्ञानदेव विश्वकर्मा	अति.प्रा.प.अ., जगतपुरा, जयपुर	अति.प्रा.प.अ., सीकर
16	श्री अशोक शर्मा	अति.प्रा.प.अ., अलवर	अति.प्रा.प.अ., जगतपुरा, जयपुर
17	श्री ललित चौधरी	अति.प्रा.प.अ., उदयपुर	अति.प्रा.प.अ., दौसा
18	श्री सुनील टाली	अति.प्रा.प.अ., परिवहन मुख्यालय, जयपुर	अति.प्रा.प.अ., अलवर

उपरोक्त अधिकारी तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें।


अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : प. 1 (56) परि/स्था./2010/16086-94

जयपुर, दिनांक: 27.07.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त संयुक्त परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक/अति.प्रा./ जिला परिवहन अधिकारी।
6. संबंधित अधिकारी श्री
7. भुगतान शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।

24
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव